न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा आर. ए. एस.

प्रकरण सख्या 12/2018 प्रा.पत्र
दायर दिनांक 19.01.2018
निर्णय दिनांक 29.11.2019

अनवान

1. प्रभुलाल पिता देवकिशन नाई निवासी दरीबा
2. पुरण पिता मीठुलाल नाई निवासी दरीबा
3. राज उर्फ राजमल पिता मिठालाल नाई निवासी दरीबा

प्राथीगण

बनाम

1. भैरूलाल पिता कन्हैयालाल नाई निवासी नया दरीबा
2. एच.आर.ट्रान्सनेशनल ड्रिलींग एण्ड माईनिंग एसोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड शाखा दरीबा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अ. एवं आदेश 39 नियम 1,2 सपठित धारा 151 जा.दी

निर्णय

प्रार्थीगण की ओर से जरिये अधिवक्ता **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अ. एवं आदेश 39 नियम 1,2 सपठित धारा 151 जा.दी** के तहत प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण /वादीगण ने एक मुल वाद अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अ. के तहत विपक्षीगण के विरूद्ध सच्चे एवं ठोस आधारो पर आप न्यायालय प्रस्तुत किया गया है। जिससे प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पुर्ण सम्भावना है प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला होकर सुविधा संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। यदि प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो प्रार्थीगण को अपुर्णनीय क्षति कारित होगी जिसकी पुर्ति नगदी में सम्भव नहीं होगी व प्रार्थीगण अपने हक अधिकारो से वंछित हो जायेगा। इसके विपरित विपक्षगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने की अवस्था में किसी भी प्रकार की क्षतिकारित नहीं होगी। राजस्व ग्राम दरीबा में प्रार्थीगण एवं उनके भाईयों की सहखातेदारी संयुक्त स्वामित्व व आधिपत्य की कृषि आराजीयात वर्तमान जमाबंदी सख्या 97 में स्थित हैं। जिसका विवरण आराजी संख्या 384 रकबा 02–15, आराजी संख्या 385 रकबा 05–16 कुल किता 02 कुल रकबा 08–11 बिघा भुमि स्थित है प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 03 में वर्णित कृषि आराजीयात से विपक्षीगण का कोई सम्बंध नहीं है। प्रार्थीगण एवं उसके परिवारजन (दिगर खातेदार) इस कृषि आराजीयात पर काबिज होकर इस पर खेतीबाडी कर रहे है। इस भुमि का उपयोग

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)

उपभोग कर रहे है लेकिन विपक्षीगण संख्या 01 काफी पैसे वाला व ब्राकतवर व्यक्ति है जो येनकेन प्रकारेण प्रार्थीगण एवं उसके परिवारजन के खातेदारी स्वामित्व व आधिपत्य की इस भुमि को हडपना चाहता है एवं इस पर जबरन कब्जा करना चाहता है विपक्षी संख्या 01 जो कि बिना किसी वैध अधिकारो के विपक्षी संख्या 02 को कहां गया कि आराजी संख्या 384 व 385 में टीडीएम मशीन लगाकर ड्रील करे तो विपक्षी संख्या 02 जो कि विपक्षी संख्या 01 के बहकावे में आकर प्रार्थीगण की आराजीयात में बिना किसी वैध अधिकार के व बिना प्रार्थीगण की सहमति स्वीकृति के आराजी संख्या 384 व 385 में विपक्षीगण टीडीएम मशीन लगाकर ड्रील का कार्य किया जा रहा है जिससे प्रार्थीगण द्वारा विरोध किया गया और कहां गया कि आप लोग अनाधिकृत रूप से हमारे खेतो में प्रवेश कर इस तरह का कार्य क्यो कर रहे तो विपक्षीगण नहीं माने और आवेश में आकर वादीगण के साथ लडाई झगडा गाली गलोच व मरने मारने के लिये उतारू हो गये। विपक्षी संख्या 01 के कहने से विपक्षी संख्या 02 टीडीएम मशीन लगाकर ड्रील का कार्य प्रार्थीगण की आराजीयात में कर रहा है और विपक्षी संख्या 01 जो कि ड्रिल लगाने के पैसे विपक्षी संख्या 02 से वसुल कर रहा है इसलिये दोनो विपक्षीगण हम सलाह होकर प्रार्थीगण की आराजीयात में बिना किसी अधिकार के प्रवेश कर प्रार्थीगण की कृषि भूमियों पर हस्तक्षेप कर रहे है। प्रार्थीगण इस भुमि के खातेदार काश्तकार है और वादीगण कब्जे काश्त भूमि को खुर्द बुर्द कर रहे है मौके पर जो वृक्ष थे उनको हटा दिया गया है बाड को भी खुर्द बुर्द कर दी गई जिनका विपक्षीगण को कोई अधिकार नहीं है क्योकि किसी भी खातेदार काश्तकार की भुमि में किसी अन्य व्यक्ति को बिना किसी हक अधिकार के प्रवेश करने का अधिकार नही है उसके बावजुद विपक्षीगण प्रार्थीगण की आराजीयात में प्रवेश कर ड्रिल लगाने का कार्य कर रहे है। और प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग में रूकावट, बाधा, हस्तक्षेप कर रहे है। विपक्षीगण द्वारा प्रार्थीगण को निरन्तर इस बात की धमकिया दी जा रही है कि वह प्रार्थीगण की आराजी संख्या 384 व 385 पर कब्जा कर हडप लेंगे और माईन्स से मिलकर इसको खुर्द बुर्द कर देंगे और टीडीएम मशीन लगाकर जो भी पैसा होगा मह प्राप्त करेंगे। इस पर जो प्रार्थीगण की फसल है वो भी खुर्द बुर्द हो गई है। इसलिये विपक्षीगण का उक्त कृत्य अवैध है। जिससे विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा के जरिये रोका जाना नितान्त आवश्यक है। अगर विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा के जरिये नहीं रोका गया तो प्रार्थीगण को अपुर्णीय क्षति कारित होगी जिसकी पुर्ति नकदी में सम्भव नहीं होगी और अनावश्यक मुकदमेबाजी बढेगी। इसलिये विपक्षीगण प्रार्थीगण की कृषि आराजीयात में किसी भी रूप में हस्तक्षेप दखलन्दाजी बाधा कारित नहीं करे न ही टीडीएम मशीन लगाकर ड्रील का कार्य करे इस हेतु विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा के जरिये पाबन्द किया जाना आवश्यक है। इसलिये यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र आप न्यायालय में प्रस्तुत है।

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षीगण को जरीये सम्मन तलब किये जाकर विपक्षीगण और से जवाब प्रस्तुत किया। विपक्षी संख्या 01 की और से प्रार्थना पत्र का जवाब निम्न प्रस्तुत है कि प्रार्थना पत्र की कालम संख्या 01 के विवरण में प्रार्थीगण द्वारा मुल वाद उक्त आशय का अवश्य प्रस्तुत किया है जो झुठे एवं गलत आधारो पर आधारित होने से प्रार्थीगण को कोई सफलता मिलने की उम्मीद नहीं है। प्रार्थना पत्र कोलम संख्या 02 के विवरण में प्रार्थीगण का कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं होकर सुविधा सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है जिससे प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है जिससे प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विपक्षी के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने की स्थिति में विपक्षी को अपने हक अधिकारो से वंचित होना पडेगा तथा विपक्षी को ऐसी गम्भीर क्षति कारित होगी जिसकी पूर्ति किसी भी रूप में नहीं होगी। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 03 का विवरण जिस रूप में वर्णित किया गया है उस रूप में गलत होकर अस्वीकार है। आराजीयात जमाबंदी में स्थित होना स्वीकार है लेकिन उक्त आराजीयात में प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 01 का 1/2 हिस्सा व विपक्षी संख्या 01 का 1/2 हिस्सा होकर प्रतिवादी संख्या 01 अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहा है। ग्राम दरीबा में वर्तमान खाता संख्या 85 में खसरा संख्या 384 व 385 कुल रकबा 08–11 बिघा भुमि स्थित है। जिसके खसरा 384 के पुराने साबिक नम्बर 200/1 मीन तथा आराजी संख्या 385 के पुराने साबिक नम्बर 200/1 मीन एवं 196 व 197 मीन थे। प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 01 की पैतृक मौरूसी जायदाद है जो बाप दादाओं के समय से चली आ रही है और उनके स्वर्गवास के बाद प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 01 इन भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग एवं काश्त कर रहे है। प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 01 हिन्दु होकर हिन्दु विधि से शासित होते है। प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 01 के पूर्वाधिकारी धन्ना पिता रामा के नाम पर राजस्व रेकार्ड में मेवाड गोवरमेंट के समय से दर्ज चली आ रही है। और धन्ना इस भूमि पर बहैसियत खातेदार काबिज होकर काश्त कर रहे थे उनके स्वर्गवास के बाद भूमि धना के दोनो पुत्रो नंदा एवं उदयराम के नाम दर्ज हुई और उन्होने अपने जीवनकाल में काबिज होकर काश्त की। नंदा व उदयराम के स्वर्गवास के बाद उनके वारिसान अत्तराधिकारी अर्थात प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 01 उक्त भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है एवं काश्त कर रहे है। उक्त भूमि में प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 01 का समान समान हक अधिकार है अर्थात वादीगण का उक्त भूमि में 1/2 आधा हिस्सा है। विपक्षी संख्या 01 का 1/2 आधा हिस्सा है। विपक्षी संख्या 01 के पिता कन्हैया लाल ने अपने हिस्से की भूमि में एक कुआ भी तैयार कर रखा है जिससे अपने हिस्से की उक्त आराजी की सिंचाई होती है। कुऐं पर विपक्षी संख्या 01 के पिता के नाम से विद्युत कनेक्शन भी प्राप्त कर रखा है उक्त कनेक्शन कराये विपक्षी को करीबन 28–30 वर्ष हो गये है। आज भी प्रतिवादी संख्या 01 उक्त भूमि में अपने हिस्से पर

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

काबिज होकर कुऐ से सिंचाई कर काश्त कर रहा है। विपक्षी संख्या 01 ने अपने हिस्से की भुमि पर काफी लागत लगा कर इसे विकसित किया है। हजारो रूपये लगाकर सिंचाई के लिये कुआ खोदा है और विद्युत सम्बंध कराया है। लेकिन राजस्व रेकार्ड में गलत रूप से उक्त भूमियों में विपक्षी संख्या 01 के पिता कन्हैयालाल का नाम अंकन होने से रह गया जबकि विपक्षी संख्या 01 के पिता कन्हैयालाल का नाम अंकन होने से रह गया जबकि विपक्षी संख्या 01 के पिता मौके पर काबिज होकर उक्त भुमि अपने 1/2 आधा हिस्से पर काश्त कर रहे थे व वर्तमान में विपक्षी संख्या 01 काश्त कर रहा है। यह प्रार्थीगण भी जानते है और स्वीकार करते है कि विपक्षी संख्या 01 के नाम पर भूमि दर्ज नहीं होने से विपक्षी संख्या 01 के पिता ने अपने हक अधिकार एवं कब्जे आधिपत्य की भूमि में अपना नाम अंकित कराने का अधिकारी होने से प्रतिवादी संख्या 01 के पिता ने अपने खातेदारी अधिकारो की घोषणा कराने एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का एक प्रार्थना पत्र आप न्यायालय सहायक कलक्टर महोदय रेलमगरा में दिनांक 17/02/2010 को दायर किया जिससे आप न्यायालय से विपक्षी संख्या 01 के पिता कन्हैयालाल के पक्ष में वाद स्वीकार करते हुऐ दिनांक 16/07/2012 को डिक्री हुआ। जिसके वाद संख्या 336 सन् 2010 थे। जिसमें इस प्रार्थना पत्र के प्रार्थीगण अर्थात प्रभुलाल व अन्य ने राजस्व अपीलीय प्राधिकरण में अपील की जिसमें राजस्व अपील प्राधिकरण ने पुनः आप न्यायालय को सुनवाई हेतु उक्त प्रार्थना पत्र प्रेषित किया है जिसमें आगामी पेशी दिनांक 26/02/2018 को सुनवाई नियत है प्रार्थना पत्र की कालम संख्या 04 कस विवरण गलत होकर अस्वीकार है। विपक्षी संख्या 01 का अपने हिस्से पर कब्जा होकर वह उसमें काश्त कर रहा है। प्रार्थना पत्र की कालम संख्या 5,6 का विवरण गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की कालम संख्या 07 का विवरण विपक्षी संख्या 01 से सम्बंधित नहीं होने से जवाब की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थना पत्र की कालम संख्या 08 का विवरण गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का कोई हेतुक उत्पन्न नहीं हुआ है। केवल मात्र विपक्षीगण को हैरान व परेशान करने की नियत से मिथ्या तथ्यों पर आधारित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो सव्यय निरस्त होने योग्य है।

अधिवक्ता पक्षकारान की बहस सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने बताया की में खातेदार काश्तकार हुँ। मैं कोई अतिक्रमी नहीं हुँ। तथा मेरे कब्जा काश्त में विपक्षीगण किसी प्रकार कि दखल अन्दाजी कारित न करे मौके की यथास्थिति बनाये रखे एवं कब्जे कास्त में किसी भी प्रकार से दखल अन्दाजी कारित न करे। दोराने बहस अधिवक्ता विपक्षी ने बताया कि मैं भी प्रार्थी का भाई हुँ । तथा वाद ग्रस्त भुमिया प्रार्थी व विपक्षी संख्या 01 के सयुक्त स्वामित्व आधिपत्य की भुमियां स्थित है जिस हेतु घौषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद आप न्यायालय में विचाराधिन है। उक्त भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है एवं काश्त कर रहे है। उक्त भूमि में प्रार्थीगण एवं विपक्षी

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)

संख्या 01 का समान समान हक अधिकार है अर्थात वादीगण का उक्त भूमि में 1/2 आधा हिस्सा है। विपक्षी संख्या 01 का 1/2 आधा हिस्सा है। विपक्षी संख्या 01 के पिता कन्हैया लाल ने अपने हिस्से की भूमि में एक कुआ भी तैयार कर रखा है जिससे अपने हिस्से की उक्त आराजी की सिंचाई होती है। कुऐं पर विपक्षी संख्या 01 के पिता के नाम से विद्युत कनेक्शन भी प्राप्त कर रखा है उक्त कनेक्शन कराये विपक्षी को करीबन 28–30 वर्ष हो गये है। आज भी प्रतिवादी संख्या 01 उक्त भूमि में अपने हिस्से पर काबिज होकर कुऐ से सिंचाई कर काश्त कर रहा है। विपक्षी संख्या 01 ने अपने हिस्से की भुमि पर काफी लागत लगा कर इसे विकसित किया है। इस भूमि पर बहैसियत खातेदार काबिज होकर काश्त कर रहे थे। केवल मात्र विपक्षीगण को हैरान व परेशान करने की नियत से मिथ्या तथ्यों पर आधारित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो सव्यय निरस्त होने योग्य है। पत्रावली का अवलोकन किया गया । तो जाहिर आया की वाद ग्रस्त भुमिया प्रार्थी ने अपने खातेदारी की होना बताया तो विपक्षी संख्या 01 ने बताया की भुमिया खातेदारी से प्रार्थी के नाम जरूर दर्ज है पर भाई हिस्से अनुसार प्रार्थी एवं विपक्षी का मौके पर आधे आधे भाग पर काबिज हो काश्त कर रहे है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से तामुल वाद के निस्तारण तक दोनो पक्ष वर्तमान रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर मुल वाद के साथ सलग्न की जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.11.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा